B.ed 1st year Paper - C2
Unit - 2

* स्वतंत्र भारत में शिक्षा *

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए ताकि देश में शिक्षा का सम्यक् विकास हो सके। संवैधानिक प्रावधानों एवं देश की परिस्थितियों एवं जन साधारण की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन करके प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा का पुनर्गठन कर बहुमुखी विकास करने का निश्चय किया गया था। इसके लिए समुचित सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्राप्त करने के लिए विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं संस्तुतियों का विवरण तथा उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है -

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)
(University Education commission)
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)
(Secondary Education commission)
3. शिक्षा आयोग (Education commission) (1964-66)
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1968
(National policy on Education)

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986
(National Policy on Education)

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 संशोधित 1992

7. शिक्षा की प्रगति - 1950-51 - 2000-01
(Progress of Education)

* विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग -(1948-49)*
(University Education commission)

सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई परन्तु उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई थी इससे भारतीय जनता असंतुष्ट थी क्योंकि यह देश की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल थी विश्वविद्यालय शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य छात्रों द्वारा परीक्षाएं उत्तीर्ण करके उपाधियाँ प्राप्त करना रह गया था। अतः इन्हीं दोषों का निराकरण करने और स्वतंत्र भारत के आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिए अन्तर्विश्वविद्यालय परिषद और केन्द्रिय शिक्षा सलाहकार परिषद ने एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रखा था भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके 4 नवम्बर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा

आयोग की नियुक्ति डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की थी इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है।

आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य

भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन सुधारों और विस्तारों के विषय में सुझाव देना, जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो।

आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श कर अपना प्रतिवेदन 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जो दो खण्डों में था प्रथम खण्ड में 18 अध्यायों एवं 593 पृष्ठों और दूसरा खण्ड में 1356 पृष्ठ है।

आयोग की संस्तुतियाँ एवं सुझाव

आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत की।

1. **विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य :-**

विश्वविद्यालय शिक्षा को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना

करना चाहिए जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय उद्योग और वाणिज्य क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके।

2. इस शिक्षा द्वारा छात्रों में ऐसे गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे वे भविष्य में उत्तम नागरिक बन सके।

3. विश्वविद्यालय को दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए, जो समाज सुधार के कार्य में योग दे सके।

4. विश्वविद्यालय को अपने छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों पर ध्यान देना चाहिए।

5. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए।

शिक्षण का स्तर

आयोग ने शिक्षण एवं प्रयोगिक कार्य के स्तर में सुधार के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रस्तुत की है -

1. विश्वविद्यालय कोर्स के लिए प्रवेश का स्तर वर्तमान इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष होना चाहिए।

2. प्रत्येक प्रांत में कॉलेजो की अधिक संख्या में स्थापना होनी चाहिए।

3. 10 से 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा समाप्त कर छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में स्थानान्तरित करने के लिए व्यावसायिक संस्थान अधिक संख्या में खोले जाने चाहिए।

4. विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में छात्रों के भीड़ को रोकने के लिए कला एवं विज्ञान विभाग में छात्रों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए।

5. परीक्षा के दिवसों को छोड़कर 180 दिनों की कार्य की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

6. पूर्व स्नातक छात्रों के लिए व्याख्यानों में उपस्थिति अनिवार्य हो।

अध्ययन की विषय-वस्तु :-

आयोग ने अध्ययन के विषय-वस्तु के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये।

1. कला एवं विज्ञान में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो 12 वर्ष तक या इसके समकक्ष किसी अन्य संस्था में सफलता पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर चुके हों।

2. स्नातक उपाधि के लिए अध्ययन की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए।

3. छात्र की रुचियों को ध्यान में रखकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए सामान्य और विशिष्ट शिक्षा में सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

शिक्षा का माध्यम

1. उच्च शिक्षा के शिक्षण के माध्यम के लिए व्यावहारिक रूप से किसी भारतीय भाषा को प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए।
2. संघीय भाषा के लिए एक लिपि देवनागरी प्रयोग की जानी चाहिए।
3. उच्च शिक्षा प्रादेशिक भाषा के रूप में।

व्यवसायिक शिक्षा

व्यवसायिक शिक्षा निम्नलिखित है।
① कृषि ② वाणिज्य ③ इन्जीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी ④ कानून ⑤ चिकित्सा शिक्षा ⑥ धार्मिक शिक्षा।

परीक्षाएँ

1. 70% प्रथम श्रेणी के लिए। ~~55~~
55-69% द्वितीय श्रेणी के लिए
40% अंक तृतीय श्रेणी के लिए।

2. मौखिक परीक्षाएं केवल स्नातकोत्तर और व्यवसायिक उपाधियों के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए।

स्त्री शिक्षा

1. स्त्रियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।
2. महिला छात्राओं को समाज में अपना सामान्य नागरिक और महिला दोनों रूपों में देखने के लिए तैयार करने में सहायता की जानी चाहिए।
3. महिला शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।
4. शैक्षिक परामर्श और उदाहरणों द्वारा गृह अर्थशास्त्र एवं गृह प्रबन्ध के अध्ययन के विरुद्ध वर्तमान विद्वेष को दूर किया जाना चाहिए।

गुण व दोष

आयोग के सुझावों एवं संस्तुतियों की निम्नलिखित गुण या विशेषताएँ हैं—

1. आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए श्रेष्ठतम उद्देश्यों का निर्धारण किया था, जो स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं प्रजातांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे।
2. विभिन्न व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की।
3. विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर को उन्नत करने का प्रयास किया।
4. आयोग ने भारतीय भाषाओं और संघीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में

स्वीकार करके भाषा - समस्या के समाधान हेतु सार्थक प्रयास।

5. स्त्री शिक्षा के विकास के लिए सह - शिक्षा पर बल।

दोष :-

1. आयोग द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य यथार्थता से परे है ये उद्देश्य इतने जटिल एवं व्यापक है, जिनकी प्राप्ति असंभव है।

2. आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नति के लिए उपयोगी सुझाव दिये परन्तु उनके क्रियान्वयन में धन की कमी ने उनकी उपयोगिता को नष्ट कर दिया।

3. धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग द्वारा सुझाव अस्पष्ट है।

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आयोग ने देश की वर्तमान विश्वविद्यालय - शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की और तदनुरूप विभिन्न सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत की, जिनके क्रियान्वयन से विश्वविद्यालय शिक्षा में आशातीत प्रगति हुई।